उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील सं0 23/2021–22

संझली हेम्ब्रम.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

रामलाल टुडू.....उत्तरकारी।

आदेश

11.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–142/2018–19 में पारित आदेश दिनांक–11.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर संथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1). मौजा बालाबहियार के अंतिम प्रधान स्व0 राखीसल टुडू थे। अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान की पत्नी है। वह मौजा बालाबहियार में अपने पति के घर में निवास करती है। उनका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण–पत्र पेंशन बुक ग्राम बालाबहियार के पते पर निर्गत है।

(2). अंचल अधिकारी, जामा द्वारा उन्हें प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया। मौजा के 16 आना रैयतों को भी किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है किन्तु अंचल अधिकारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर उनके आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि वह सरैयाहाट में निवास करती है किन्तु प्रतिवेदन में यह उल्लेख नही है कि वह किस गॉव में निवास करती है।

(3) अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान की पत्नी है तथा हिन्दू सक्सेसन एक्ट के आधार पर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। वह युवा एवं सक्रिय महिला है।

(4) पूर्व प्रधान के अगला उत्तराधिकारी होने के नाते उनका दावा प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के

अन्तर्गत बनता है, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उनके द्वारा निवासी प्रमाण–पत्र आय प्रमाण–पत्र एवं पेंशन बुक की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

उत्तरकारी के अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1). उत्तरकारी अंतिम प्रधान के पहली पत्नी का पुत्र है। अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के चतुर्थ पत्नी है एवं अपने मायके मधुवन, प्रखंड सरैयाहाट में निवास करती है। वहाँ दो कमरा पक्का मकान बनाकर दुकान चला रही है।

(2). उत्तरकारी पूर्व प्रधान के पुत्र होने के नाते अगला उत्तराधिकारी है एवं सथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर दावा बनता है।

(3). उत्तरकारी को मौजा के ग्रामीण रैयतों का समर्थन प्राप्त है।

(4). वह भी "हिन्दू सक्सेशन एक्ट" के अनुसार प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है तथा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, जामा का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख तथ्य :–

अंचल अधिकारी, जामा के पत्रांक–22/रा0 दिनांक–01.02.2020 एवं पत्रांक–195/रा दिनांक–30.03.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय मे समर्पित किया गया है। पत्रांक–22/रा0 दिनांक–01.02.2020 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर नियुक्त हेतु अनुशंसा किया गया है। पत्रांक–195/रा0 दिनांक–30.03.2021 द्वारा समर्पित में उल्लेख है कि अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान की चतुर्थ पत्नी है तथा मुख्य रूप से प्रखंड सरैयाहाट में रहती है। उत्तरकारी अंतिम प्रधान के पहली पत्नी का पुत्र है। वह साक्षर है एवं चरित्र

अच्छा है, उन्हें ग्रामसभा द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसी आधार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा भी अंचल अधिकारी, जामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई जो अंचल कार्यालय, जामा के पत्रांक–1230/रा0 दिनांक–30.12.2021 द्वारा प्राप्त है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मौजा के अंतिम प्रधान राखीसल टुडू थे। जिनकी मृत्यु 22.11.2018 को हो गई है। अंतिम प्रधान के चार पत्नीयॉ थी। अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के चतुर्थ पत्नी है। उत्तरकारी अंतिम प्रधान के पहली पत्नी का पुत्र है तथा ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त है। अंतिम प्रधान की चतुर्थ पत्नी अपीलकर्त्ता मुख्य रूप से प्रखंड सरैयाहाट में रहती है।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 :–

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner. .

संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स–1950 सिउडल–V:-

The headman must be resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

Rule-1- The appointments of headman shall be made in accordance with village customs. And before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the *raiyats,* and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate.

Black Law Dictionary :-

Residence means Bodily presence as an inhabitants in a given place.'

निष्कर्ष

उभय पक्षों के अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

1. उत्तरकारी को मौजा के ग्रामीण रैयतों का समर्थन प्राप्त है जो शिउ्डल V के रूल–1 के अनुकूल है।

2. अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलकर्त्ता प्रखंड सरैयाहाट में रहती है जो शिउ्डल V के अनुकुल नहीं है जिसमें कहा गया है कि मौजा के प्रधान को प्रधानी मौजा में रहना है अथवा स्थाई निवास स्थान से एक मील की दूरी पर रहना आवश्यक है।

इस आधार पर स्पष्ट है कि उत्तरकारी को की गई नियुक्ति नियमानुकुल है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकुल एवं सही प्रतीत होता है। जिसे बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

4588dt 23/2/22

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:21:47 +05:30
Location: 169.254.227.244